डाक प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता केन्द्र, मैसूर
No. 6
05 JAN 2012
Centre for Excellence in Postal Technology, Mysore-570 010

IMMEDIATE

No.06-08/2010-SPB.II
Government of India
Ministry of Communications & IT
Department of Posts
....

Dak Bhavan, New Delhi-110 001
Dated the 02-1-2012

To

All Chief Postmasters General,
All Postmasters General,
Controller, Foreign Mails, Mumbai.

Subject:- Department of Posts (Lower Selection Grade Posts) Recruitment Rules, 2011 in respect of Posts of Post Offices/ Railway Mail Service/ Savings Banks Control Organisation Returned Letter Offices/ Foreign Posts/ Postal Stores Depot.

Sir/ Madam,

I am directed to say that consequent to the 6th Central Pay Commission's recommendations, the Deptt. Of Personnel & Training (DoPT) have revised the pay structures comprising the Pay Band and Grade Pay/ Pay Scale and minimum service required in a particular scale/ grade for promotion.

2. Keeping in view the above, the existing Recruitment Rules of Lower Selection Grade Posts in Post Offices (POs)/ Railway Mail Service Offices (RMS)/ Savings Banks Control Organisation (SBCO)/ Returned Letter Offices (RLO)/ Foreign Posts (FP)/ Postal Stores Depot (PSD) have been reviewed and accordingly in supersession of the earlier Recruitment Rules Department of Posts (Lower Selection Grade Posts) (Amendment) Recruitment Rules, 2011 have been published in the Official Gazette (Extraordinary) vide GSR No. 62(E), dated 2.2.2011. There was a printing mistake in the Schedule to the said Rules against serial number 5 relating to Lower Selection Grade Accountants in Post Offices, in column (12) under the heading promotion. The word "Foreign" has been printed inadvertently in the English version before the words "Post Offices". The printing mistake has been rectified by notifying Department of Posts (Lower Selection Grade Posts) (Amendment) Recruitment Rules, 2011 in the Gazette of India vide GSR No. 706 (E), dated 21.9.2011. A copy each of the aforesaid Rules is forwarded herewith for your information and future guidance.

4. It is requested that the posts in LSG cadres may be filled up as per the Recruitment Rules.

Yours faithfully,

(Alka Tewari)
Assistant Director General (SPN)

Encl: As stated

Copy to:

1) PPS to Secretary (Posts)
2) PPS/ PS to all Members of Postal Services Board / JS & FA
3) Secretary (PSB)
4) CGM (BD)/ CGM (MB)/ CGM (PLI/ Director, Postal Staff College, India, Ghaziabad.
5) All DDsG
6) Pr. Director of Audit (Postal), Delhi-110 054.
7) Additional Director General, Army Postal Service (APS), R.K. Puram, New Delhi-110 066.
8) All Directors, Postal Training Centres.
9) Director, Postal Training Centre, Mysore-570 010. It is requested that this letter may please be hosted along with the Recruitment Rules on the website of the Department of Posts.
10) Director (VP)
11) All recognized Service Unions/ Associations/ Federations.
12) SPG/SPB.I/PE.I/PE.II/ SCT / DE/ SR Sections/Guard file

(Alka Tewari)
Assistant Director General (SPN)

डा. प्र. कें., मैसूर
P.T.C., MYSORE
0 JAN 2012
DD (CEPT) | Joint Director | DD (CEPT)
DD (PTC) | A.D.(Admn.) | AO (CEPT)

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 522] नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 21, 2011/भाद्र 30, 1933
No. 522] NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 21, 2011/BHADRA 30, 1933

संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(डाक विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 सितम्बर, 2011

सा.का.नि. 706(अ).—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति एतद्द्वारा डाक विभाग (निम्न चयन ग्रेड पद) भर्ती नियमावली, 2011 में संशोधन हेतु निम्नलिखित नियम बनाते हैं, यथा :—

1. (1) इन नियमों को डाक विभाग, (निम्न चयन ग्रेड पद) (संशोधन) भर्ती नियमावली, 2011 कहा जाएगा।

(2) ये सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. डाक विभाग (निम्न चयन ग्रेड पद) भर्ती नियमावली, 2011 की अनुसूची में डाकघरों में (निम्न चयन ग्रेड) लेखाकारों से संबंधित क्र. सं. 5 के कालम (12) में, शीर्षक प्रोन्नति के अंतर्गत 'विदेश' शब्द हटा दिया गया है।

[फा. सं. 6-8/2010-एसपीबी-II]

राजकुमार, निदेशक (स्टाफ)

टिप्पणी : मूल नियम अधिसूचना सं. 6-8/2010-एसपीबी-II, दिनांक 31-1-2011 [सं. सा.का.नि. 62(अ), दिनांक 2-2-2011] के तहत राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY

(Department of Posts)

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th September, 2011

G.S.R. 706(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Department of Posts (Lower Selection Grade Posts) Recruitment Rules, 2011, namely :—

1. (1) These rules may be called the Department of Posts (Lower Selection Grade Posts) (Amendment) Recruitment Rules, 2011.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Department of Posts (Lower Selection Grade Posts) Recruitment Rules, 2011, against serial number 5 relating to Lower Selection Grade Accountants in Post Offices, in Column (12), under the heading promotion, the word 'Foreign' shall be omitted.

[F. No. 6-8/2010-SPB-II]

RAJ KUMAR, Director (Staff)

Note : The Principal rules were published in the Official Gazette *vide* Notification No. 6-8/2010-SPB-II, dated 31-1-2011 [No. G.S.R. 62(E), dated 2-2-2011].

3507 GI/2011

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 52] नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 2, 2011/माघ 13, 1932
No. 52] NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 2, 2011/MAGHA 13, 1932

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(डाक विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 जनवरी, 2011

सा.का.नि. 62(अ).—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय डाक एवं तार (चयन ग्रेड पद) भर्ती नियमावली, 1976, जहां तक यह निम्न चयन ग्रेड के पदों से संबंधित है तथा डाक विभाग (बचत बैंक नियंत्रण संगठन/आंतरिक जांच संगठन, सेन्ट्रल पेयरिंग यूनिट में निम्न चयन ग्रेड) भर्ती नियमावली, 1986 के अधिक्रमण में, सिवाय उन बातों के जो इस प्रकार के अधिक्रमण से पूर्व की गईं अथवा करने से जिनका लोप किया जाना था, राष्ट्रपति, एतद्द्वारा संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, डाक विभाग में डाकघरों, रेलवे मेल सेवा कार्यालयों, स्वतंत्र डाक भंडार डिपुओं, पुन: प्रेषण कार्यालयों, विदेश डाकघरों, सर्किल और क्षेत्रीय कार्यालयों तथा बचत बैंक नियंत्रण संगठन में निम्न चयन ग्रेड के पदों की भर्ती प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, यथा :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों को डाक विभाग (निम्न चयन ग्रेड पद) भर्ती नियमावली, 2011 कहा जाएगा ।

(2) ये सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन/वेतनमान.**—पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन बैंड तथा उनसे संबंधित ग्रेड वेतन/वेतनमान, इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के कालम 2 से 4 में विनिर्दिष्ट है ।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अर्हताएं आदि.**—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के कालम 5 से 14 में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **निरर्हताएं.**—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, से विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार के लिए लागू कानून के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. व्यावृति.—इन नियमों की कोई भी बात ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों, अन्य पिछड़े वर्गों, पूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/ वेतनमान	चयन पद अथवा गैर-चयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. डाकघरों में निम्न चयन ग्रेड	6929 (2011)* *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' (अराजपत्रित, अनुसचिवीय)	5200-20,200 रु. वेतन बैंड । ग्रेड वेतन 2800 रु.	चयन	नहीं	लागू नहीं

सीधे भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे ग्रेड जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
(11)	(12)
प्रोन्नति	**प्रोन्नति :** 5200-20200 रु. + 2400 रु. के ग्रेड वेतन के वेतन बैंड-1 में कार्यरत डाक सहायक, ग्रेड में पांच वर्षों की नियमित सेवा सहित । **टिप्पणी** (i) : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे वरिष्ठ व्यक्तियों के नाम पर भी विचार किया जाएगा बशर्ते कि उनकी कार्यावधि ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा में अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक अथवा दो वर्षों, जो भी कम हो, से कम न हो और उन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी करने वाले अपने कनिष्ठ व्यक्तियों के साथ ही अगले उच्च ग्रेड में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो । **टिप्पणी** (ii) : प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की गणना करने के प्रयोजन से 1-1-2006 से पूर्व किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा (वह तारीख जिसको छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर संशोधित वेतन संरचना लागू की गई है)

(12)
को वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर समनरूप वेतन/वेतनमान में की गई सेवा माना जाएगा ।

यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती करने से पहले संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है
(13)	(14)
विभागीय प्रोन्नति समिति में निम्न शामिल होंगे : 1. डाक सेवा के एक निदेशक (मुख्यालय) —अध्यक्ष 2. विभाग के वरिष्ठ समयमान/कनिष्ठ समयमान अथवा समकक्ष स्तर के दो अधिकारी —सदस्य	लागू नहीं

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2. रेलवे मेल सेवा कार्यालयों में निम्न चयन ग्रेड	1197 (2011)* *कार्यभार के अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' (अराजपत्रित, अनुसचिवीय)	5200-20,200 रु. वेतन बैंड । ग्रेड वेतन 2800 रु.	चयन	नहीं	लागू नहीं

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

(11)	(12)
प्रोन्नति	**प्रोन्नति :** 5200-20200 रु. + 2400 रु. के ग्रेड वेतन के वेतन बैंड-1 में कार्यरत छंटाई सहायक, ग्रेड में पांच वर्षों की नियमित सेवा सहित । **टिप्पणी** (i) : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे वरिष्ठ व्यक्तियों के नाम पर भी विचार किया जाएगा बशर्ते कि उनकी कार्यावधि ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा में अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक अथवा दो वर्षों, जो भी कम हो, से कम न हो और उन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी करने वाले अपने कनिष्ठ व्यक्तियों के साथ ही अगले उच्च ग्रेड में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो । **टिप्पणी** (ii) : प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की गणना करने के प्रयोजन से 1-1-2006 से पूर्व किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा (वह तारीख जिसको छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर संशोधित वेतन संरचना लागू की गई है) को वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर समनरूप वेतन/वेतनमान में की गई सेवा माना जाएगा ।

(13)	(14)
विभागीय प्रोन्नति समिति में निम्न शामिल होंगे : 1. डाक सेवा के एक निदेशक (मुख्यालय) —अध्यक्ष 2. विभाग के वरिष्ठ समयमान/कनिष्ठ समयमान अथवा समकक्ष स्तर के दो अधिकारी —सदस्य	लागू नहीं

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3. पुनः प्रेषण कार्यालयों में निम्न चयन ग्रेड	65 (2011)* *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' (अराजपत्रित, अननुसचिवीय)	5200-20,200 रु. वेतन बैंड-I ग्रेड वेतन 2800 रु.	चयन	नहीं	लागू नहीं

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

(11)	(12)
प्रोन्नति	प्रोन्नति : 5200-20200 रु. + 2400/- रु. के ग्रेड वेतन के वेतन बैंड-I में पुनः प्रेषण कार्यालयों में कार्यरत छंटाई सहायक, ग्रेड में पांच वर्षों की नियमित सेवा सहित । टिप्पण (i) : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के नाम पर भी विचार किया जाएगा बशर्ते कि उनकी कार्यावधि ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा में अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक अथवा दो वर्षों, जो भी कम हो, से कम न हो और उन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी करने वाले अपने कनिष्ठ व्यक्तियों के साथ ही अगले उच्च ग्रेड में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो । (ii) : प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की गणना करने के प्रयोजन से 1-1-2006 से पूर्व किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा (वह तारीख जिसको छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर संशोधित वेतन संरचना लागू की गई है) को वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर समनुरूप वेतन/वेतनमान में की गई सेवा माना जाएगा ।

(13)	(14)
विभागीय प्रोन्नति समिति में निम्न शामिल होंगे : 1. डाक सेवा के एक निदेशक (मुख्यालय) —अध्यक्ष 2. विभाग के वरिष्ठ समयमान/कनिष्ठ समयमान अथवा समकक्ष स्तर के दो अधिकारी —सदस्य	लागू नहीं

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4. मुंबई में विदेश डाकघर में निम्न चयन ग्रेड	54 (2011)* *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' (अराजपत्रित, अननुसचिवीय)	5200-20,200 रु. वेतन बैंड-1 ग्रेड वेतन 2800 रु.	चयन	नहीं	लागू नहीं

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

(11)	(12)
प्रोन्नति	प्रोन्नति : 5200-20200 रु. + 2400/- रु. के ग्रेड वेतन के वेतन बैंड-1 में मुंबई के विदेश डाकघर में कार्यरत डाक में कार्यरत छंटाई सहायक, ग्रेड में पांच वर्षों की नियमित सेवा सहित । **टिप्पण** (i) : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के नाम पर भी विचार किया जाएगा बशर्ते कि उनकी कार्यावधि ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा में अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक अथवा दो वर्षों, जो भी कम हो, से कम न हो और उन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी करने वाले अपने कनिष्ठ व्यक्तियों के साथ ही अगले उच्च ग्रेड में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो । (ii) : प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की गणना करने के प्रयोजन से 1-1-2006 से पूर्व किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा (वह तारीख जिसको छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर संशोधित वेतन संरचना लागू की गई है) को वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर समनुरूप वेतन/वेतनमान में की गई सेवा माना जाएगा ।

(13)	(14)
विभागीय प्रोन्नति समिति में निम्न शामिल होंगे : 1. डाक सेवा के एक निदेशक (मुख्यालय) —अध्यक्ष 2. विभाग के वरिष्ठ समयमान/कनिष्ठ समयमान अथवा समकक्ष स्तर के दो अधिकारी —सदस्य	लागू नहीं

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5. डाकघरों में निम्न चयन ग्रेड लेखाकार	322 (2011)* *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' (अराजपत्रित, अननुसचिवीय)	5200-20,200 रु. वेतन बैंड-1 ग्रेड वेतन 2800 रु.	चयन	नहीं	लागू नहीं

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

(11)	(12)
प्रोन्नति	प्रोन्नति : 5200–20,200 रु. + 2400/- रु. के ग्रेड वेतन के वेतन बैंड-1 में डाकघरों में कार्यरत डाक सहायक, ग्रेड में पांच वर्षों की नियमित सेवा सहित, जिन्होंने डाकघर और रेलवे मेल सेवा लेखाकार परीक्षा पास की हो । टिप्पण (i) : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हता/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे वरिष्ठ व्यक्तियों के नाम पर भी विचार किया जाएगा बशर्ते कि उनकी कार्यावधि ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा में अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक अथवा दो वर्षों, जो भी कम हो, से कम न हो और उन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी करने वाले अपने कनिष्ठ व्यक्तियों के साथ ही अगले उच्च ग्रेड में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो । (ii) : प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की गणना करने के प्रयोजन से 1-1-2006 से पूर्व किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा (वह तारीख जिसको छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर संशोधित वेतन संरचना लागू की गई है) को वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर समनुरूप वेतन/वेतनमान में की गई सेवा माना जाएगा ।

(13)	(14)
विभागीय प्रोन्नति समिति में निम्न शामिल होंगे : 1. डाक सेवा के एक निदेशक (मुख्यालय) —अध्यक्ष 2. विभाग के वरिष्ठ समयमान/कनिष्ठ समयमान अथवा समकक्ष स्तर के दो अधिकारी —सदस्य	लागू नहीं

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
6. रेलवे मेल सेवा कार्यालयों में निम्न चयन ग्रेड लेखाकार	46 (2010)* *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' (अराजपत्रित, अनुसचिवीय)	5200–20,200 रु. वेतन बैंड-1 ग्रेड वेतन 2800 रु.	चयन	नहीं	लागू नहीं

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

(11)	(12)
प्रोन्नति	प्रोन्नति : 5200–20,200 रु. + 2400 रु. के ग्रेड वेतन के वेतन बैंड-1 में कार्यरत छंटाई सहायक ग्रेड में पांच वर्षों की नियमित सेवा सहित, जिन्होंने डाकघर और रेलवे मेल सेवा लेखाकार परीक्षा पास की हो ।

(12)
टिप्पण (i) : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे वरिष्ठ व्यक्तियों के नाम पर भी विचार किया जाएगा बशर्ते कि उनकी कार्यावधि ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा में अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक अथवा दो वर्षों, जो भी कम हो, से कम न हो और उन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी करने वाले अपने कनिष्ठ व्यक्तियों के साथ ही अगले उच्च ग्रेड में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो । (ii) : प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की गणना करने के प्रयोजन से 1-1-2006 से पूर्व किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा (वह तारीख जिसको छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर संशोधित वेतन संरचना लागू की गई है) को वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर समनरूप वेतन/वेतनमान में की गई सेवा माना जाएगा ।

(13)	(14)
विभागीय प्रोन्नति समिति में निम्न शामिल होंगे : 1. डाक सेवा के एक निदेशक (मुख्यालय) —अध्यक्ष 2. विभाग के वरिष्ठ समयमान/कनिष्ठ समयमान अथवा समकक्ष स्तर के दो अधिकारी —सदस्य	लागू नहीं

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7. स्वतंत्र डाक भंडार डिपुओं में निम्न चयन ग्रेड	61 (2011)* *कार्यभार के अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' (अराजपत्रित, अनुसचिवीय)	5200-20200 रु. वेतन बैंड-1, ग्रेड वेतन 2800 रु.	चयन	नहीं	लागू नहीं

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

(11)	(12)
प्रोन्नति	प्रोन्नति : 5200-20200 रु. + 2400 रु. के ग्रेड वेतन के वेतन बैंड-1 में स्वतंत्र डाक भंडार डिपुओं में कार्यरत छंटाई सहायक ग्रेड में पांच वर्षों की नियमित सेवा सहित । टिप्पण (i) : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे वरिष्ठ व्यक्तियों के नाम पर भी विचार किया जाएगा बशर्ते कि उनकी कार्यावधि ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा में अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक अथवा दो वर्षों, जो भी कम हो, से कम न हो और उन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी करने वाले अपने कनिष्ठ व्यक्तियों के साथ ही अगले उच्च ग्रेड में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो । (ii) : प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की गणना करने के प्रयोजन से 1-1-2006 से, पूर्व किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा (वह तारीख जिसको छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर संशोधित वेतन संरचना लागू की गई है) को वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर समनरूप वेतन/वेतनमान में की गई सेवा माना जाएगा ।

(13)	(14)
विभागीय प्रोन्नति समिति में निम्न शामिल होंगे : 1. डाक सेवा के एक निदेशक (मुख्यालय) —अध्यक्ष 2. विभाग के वरिष्ठ समयमान/कनिष्ठ समयमान अथवा समकक्ष स्तर के दो अधिकारी —सदस्य	लागू नहीं

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
8. सर्किल कार्यालयों और क्षेत्रीय कार्यालयों में निम्न चयन ग्रेड	250 (2011)* *कार्यभार के अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' (अराजपत्रित, अनुसचिवीय)	5200-20200 रु. वेतन बैंड-1, ग्रेड वेतन 2800 रु.	चयन	नहीं	लागू नहीं

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

(11)	(12)
प्रोन्नति	**प्रोन्नति :** 5200-20200 रु. + 2400 रु. के ग्रेड वेतन के वेतन बैंड-1 में सर्किल कार्यालयों और क्षेत्रीय कार्यालयों में कार्यरत डाक सहायक, ग्रेड में पांच वर्षों की नियमित सेवा सहित । **टिप्पण** (i) : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे वरिष्ठ व्यक्तियों के नाम पर भी विचार किया जाएगा बशर्ते कि उनकी कार्यावधि ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा में अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक अथवा दो वर्षों, जो भी कम हो, से कम न हो और उन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी करने वाले अपने कनिष्ठ व्यक्तियों के साथ ही अगले उच्च ग्रेड में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो । (ii) : प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की गणना करने के प्रयोजन से 1-1-2006 से पूर्व किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा (वह तारीख जिसको छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर संशोधित वेतन संरचना लागू की गई है) को वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर समान वेतन/वेतनमान में की गई सेवा माना जाएगा ।

(13)	(14)
विभागीय प्रोन्नति समिति में निम्न शामिल होंगे : 1. डाक सेवा के एक निदेशक (मुख्यालय) —अध्यक्ष 2. विभाग के वरिष्ठ समयमान/कनिष्ठ समयमान अथवा समकक्ष स्तर के दो अधिकारी —सदस्य	लागू नहीं

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
9. बचत बैंक नियंत्रण संगठन में निम्न चयन ग्रेड	303 (2011)* *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' (अराजपत्रित, अनुसचिवीय)	5200-20200 रु. वेतन बैंड-1, ग्रेड वेतन 2800 रु.	चयन	नहीं	लागू नहीं

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

(11)	(12)
प्रोन्नति	**प्रोन्नति :** 5200-20200 रु. + 2400 रु. के ग्रेड वेतन के वेतन बैंड-1 में बचत बैंक नियंत्रण संगठन में कार्यरत डाक सहायक, ग्रेड में पांच वर्षों की नियमित सेवा सहित । **टिप्पण** (i) : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे वरिष्ठ व्यक्तियों के नाम पर भी विचार किया जाएगा बशर्ते कि उनकी कार्यावधि ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा में अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक अथवा दो वर्षों, जो भी कम हो, से कम न हो और उन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी करने वाले अपने कनिष्ठ व्यक्तियों के साथ ही अगले उच्च ग्रेड में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो । (ii) : प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की गणना करने के प्रयोजन से 1-1-2006 से, पूर्व किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा (वह तारीख जिसको छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर संशोधित वेतन संरचना लागू की गई है) को वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर समनुरूप वेतन/वेतनमान में की गई सेवा माना जाएगा ।

(13)	(14)
विभागीय प्रोन्नति समिति में निम्न शामिल होंगे : 1. डाक सेवा के एक निदेशक (मुख्यालय) —अध्यक्ष 2. विभाग के वरिष्ठ समयमान/कनिष्ठ समयमान अथवा समकक्ष स्तर के दो अधिकारी —सदस्य	लागू नहीं

[फा. सं. 6-8/2010-एसपीबी-II]

सूरज भान, सहायक महानिदेशक (एसपीएन)

MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY

(Department of Posts)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st January, 2011

G. S. R. 62(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Indian Posts and Telegraphs (Selection Grade Posts) Recruitment Rules, 1976 in so far as they relate to the posts of Lower Selection Grade and the Department of Posts (Lower Selection Grade in Savings Bank Control Organisations/Internal Check Organisation, Central Pairing Unit) Recruitment Rules, 1986, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Lower Selection Grade in Post Offices, Railway Mail Service Offices, Independent Postal Stores Depots, Returned Letter Offices, Foreign Post Offices, Circle and Regional Offices and Savings Banks Control Organisation in the Department of Posts in the Ministry of Communications and Information Technology, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Department of Posts (Lower Selection Grade Posts) Recruitment Rules, 2011.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and pay band and grade pay/scale of pay.—The number of post, its classification and the pay band and grade pay/scale of pay attached thereto, shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

370 GI/11-2

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.**— The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (14) of the said Schedule.

4. **Disqualification.**—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Savings.**—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-Servicemen, Other Backward Classes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Pay Band, and Grade Pay/ Pay Scale	Whether Selection post or Non-selection post	Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Lower Selection Grade in Post Offices	6929 (2011)* *Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group 'C', (Non-Gazetted, Ministerial)	Rs. 5200-20200 PB-1, Grade Pay Rs. 2800	Selection	No	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable

Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion/deputatation/absorption to be made
(11)	(12)
Promotion	Promotion : Postal Assistants working in Pay Band-1 of Rs. 5200-20200 + Grade Pay Rs. 2400 with five years of regular service in the grades.

	(12)
	Note (i) : Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service. Note (ii) : For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1-1-2006 (the date from which the revised pay structure based on the 6th CPC recommendations has been extended) shall be deemed to be service rendered in the corresponding pay/pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(13)	(14)
Departmental Promotion Committee consisting of : 1. A Director of Postal Services (Headquarters) —Chairperson 2. Two officers of the level of Senior Time Scale/ Junior Time Scale or equivalent of the Department —Members	Not applicable

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2. Lower Selection Grade in Railway Mail Service Offices	1197 (2011)* *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', (Non-Gazetted, Ministerial)	Rs. 5200-20200 PB-1, Grade Pay Rs. 2800	Selection	No	Not applicable

(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable

(11)	(12)
Promotion	Promotion : Sorting Assistants working in Pay Band-1 of Rs. 5200-20200 + Grade Pay Rs. 2400 with five years of regular service in the grades. Note (i) : Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility ser-

	(12)
	or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service. Note (ii) : For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1-1-2006 (the date from which the revised pay structure based on the 6th CPC recommendations has been extended) shall be deemed to be service rendered in the corresponding pay/pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission.

(13)	(14)
Departmental Promotion Committee consisting of : 1. A Director of Postal Services (Headquarters) —Chairperson 2. Two officers of the level of Senior Time Scale/ Junior Time Scale or equivalent of the Department —Members	Not applicable

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3. Lower Selection Grade in Returned Letter Offices	65* (2011) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C' (Non-Gazetted, Ministerial)	Rs. 5200-20200 PB-1, Grade Pay Rs. 2800	Selection	No	Not applicable

(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable

(11)	(12)
Promotion	Promotion : Postal Assistants working in returned Letter Offices in Pay Band-1 of Rs. 5200-20200 + Grade Pay Rs. 2400 with five years of regular service in the grades. Note (i) : Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service. Note (ii) : For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1-1-2006 (the date from which the revised pay structure based on the 6th CPC recommendations has been extended) shall be deemed to be service rendered in the corresponding pay/pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission.

(13)	(14)
Departmental Promotion Committee consisting of :— 1. A Director of Postal Services (Headquarters) —Chairperson 2. Two officers of the level of Senior Time Scale/ Junior Time Scale or equivalent of the Department —Members	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4. Lower Selection Grade in Foreign Post Office at Mumbai	54 (2011)* *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C' (Non-Gazetted, Ministerial)	Rs. 5200-20200 PB-1 Grade Pay Rs. 2800	Selection	No	Not applicable

(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable

(11)	(12)
Promotion	**Promotion :** Postal Assistants working in Foreign Post Office at Mumbai in Pay Band-1 of Rs. 5200-20200 + Grade Pay Rs. 2400 with five years of regular service in the grade. **Note (i) :** Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/ eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service. (ii) : For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1-1-2006 (the date from which the revised pay structure based on the 6th CPC recommendations has been extended) shall be deemed to be service rendered in the corresponding pay/pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission.

(13)	(14)
Departmental Promotion Committee consisting of :— 1. A Director of Postal Services (Headquarters) —Chairperson 2. Two officers of the level of Senior Time Scale/ Junior Time Scale or equivalent of the Department —Members	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5. Lower Selection Grade Accountants in Post Offices	322 (2011)* *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C' (Non-Gazetted, Ministerial)	Rs. 5200-20200 PB-I Grade Pay Rs. 2800	Selection	No	Not applicable

(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable

(11)	(12)
Promotion	**Promotion :** Postal Assistants working in Foreign Post Offices in Pay Band-I of Rs. 5200-20200 + Grade Pay Rs. 2400 with five years of regular service in the grade who have passed the Post Offices and Railway Mail Service Accountants Examination. Note (i) : Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service. (ii) : For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1-1-2006 (the date from which the revised pay structure based on the 6th CPC recommendations has been extended) shall be deemed to be service rendered in the corresponding pay/pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission.

(13)	(14)
Departmental Promotion Committee consisting of :— 1. A Director of Postal Services (Headquarters) —Chairperson 2. Two officers of the level of Senior Time Scale/ Junior Time Scale or equivalent of the Department —Members	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
6. Lower Selection Grade Accountants in Railway Mail Service Offices	46 (2011)* *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C' (Non-Gazetted, Ministerial)	Rs. 5200-20200 PB-1 Grade Pay Rs. 2800	Selection	No	Not applicable.

(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable

(11)	(12)
Promotion	**Promotion :** Sorting Assistants working in Railway Mail Service Offices in Pay Band-1 of Rs. 5200-20200 + Grade Pay Rs. 2400 with five years of regular service in the grade who have passed the Post Offices and Railway Mail Service Accountant Examination. **Note (i) :** Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/ eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service. (ii) : For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1-1-2006 (the date from which the revised pay structure based on the 6th CPC recommendations has been extended) shall be deemed to be service rendered in the corresponding pay/pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission.

(13)	(14)
Departmental Promotion Committee consisting of :— 1. A Director of Postal Services (Headquarters) —Chairperson 2. Two officers of the level of Senior Time Scale/ Junior Time Scale or equivalent of the Department —Members	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7. Lower Selection Grade in Independent Postal Stores Depots	61 (2011)* *(Subject to variation dependent on workload.)	General Central Service, Group 'C' (Non-Gazetted, Ministerial)	Rs. 5200-20200 PB-1 Grade Pay Rs. 2800	Selection	No	Not applicable

(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable

(11)	(12)
Promotion	**Promotion :** Postal Assistants working in Independent Postal Stores Depots in Pay Band-1 of Rs. 5200-20200 + Grade Pay Rs. 2400 with five years of regular service in the grade.

(12)
Note (i) : Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service. Note (ii) : For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1-1-2006 (the date from which the revised pay structure based on the 6th CPC recommendations has been extended) shall be deemed to be service rendered in the corresponding pay/pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission.

(13)	(14)
Departmental Promotion Committee consisting of : 1. A Director of Postal Services (Headquarters) —Chairperson 2. Two officers of the level of Senior Time Scale/ Junior Time Scale or equivalent of the Department —Members	Not applicable

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
8. Lower Selection Grade in Circle Offices and Regional Offices	250 (2011)* *(Subject to variation dependent on workload)	General Central Service, Group 'C' (Non-Gazetted, Ministerial)	Rs. 5200-20200 PB-I Grade Pay Rs. 2800	Selection	No	Not applicable

(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable

(11)	(12)
Promotion	Promotion : Postal Assistants working in Circle Office and Regional Office in Pay Band-1 of Rs. 5200-20200+ Grade Pay Rs. 2400 with five years of regular service in the grade. Note (i) : Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with

(12)
their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service. Note (ii) : For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1-1-2006 (the date from which the revised pay structure based on the 6th CPC recommendations has been extended) shall be deemed to be service rendered in the corresponding pay/pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission.

(13)	(14)
Departmental Promotion Committee consisting of : 1. A Director of Postal Services (Headquarters) —Chairperson 2. Two officers of the level of Senior Time Scale/ Junior Time Scale or equivalent of the Department —Members	Not applicable

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
9. Lower Selection Grade in Savings Banks Control Organisation	303 (2011)* *Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group 'C' (Non-Gazetted, Ministerial)	Rs. 5200-20200 PB-1 Grade Pay Rs. 2800	Selection	No	Not applicable

(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable

(11)	(12)
Promotion	Promotion : Postal Assistants working in Savings Banks Control Organisations in Pay Band-1 of Rs. 5200-20200 + Grade Pay Rs. 2400 with five years of regular service in the grades. Note (i) : Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/ eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service. Note (ii) : For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1-1-2006 (the date from which the revised pay structure based on the 6th CPC recommendations has been extended) shall be deemed to be service rendered in the corresponding pay/pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission.

(13)		(14)
Departmental Promotion Committee consisting of :		Not applicable
1. A Director of Postal Services (Headquarters)	—Chairperson	
2. Two officers of the level of Senior Time Scale/ Junior Time Scale or equivalent of the Department	—Members.	

[F. No. 6-8/2010-SPB. II]

SURAJ BHAN, Assistant Director General (SPN)

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.